संख्या-3/2019/जी-2-41/दस-2019-601/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक : 05 मार्च, 2019

विषय <u>यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।</u> महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन सिमिति (2016) के सप्तम् प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सिम्मिलित करते हुये) को शासनादेश संख्या-जी-2-175/दस-2011-601/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न् प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यात्रा की अधिकृत श्रेणी -

(अ)- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ वायुयान/ रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी :-

क्रामं०	सरकारी सेवक का	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
y.otio	मैद्रिक्स लेवल	The state of the s
(1)	(2)	(3)
1	लेवल-15 एवं उच्च	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
T	लेवल	
2	लेवल-13(क) एवं	वायुयान का एकोनॉमी क्लास/रेल का वातानुक्लित

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

शासन में तैनात विशेष सचिवों को शासकीय यात्राओं के लिए वायुयान के एकोनॉमी क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत किया जाता है, चाहे वह वेतन मैट्रिक्स के किसी भी लेवल में कार्यरत हों।

加) 强 挪

- (ब)(1)-ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हो, तक की यात्रा वातानुक्लित बस द्वारा करने हेतु वे समस्त शासकीय सेवक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुक्लित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।
- (ब)(п)-रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि कुल किराया सम्बन्धित कर्मचारी के अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।
- (स)- विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु सरकारी सेवकों

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nlc.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की वायुयान से यात्रा की श्रेणी निम्नानुसार होगी:-

क्र0सं0	सरकारी सेवक का मैट्रिक्स लेवल	यात्रा की अधिकृत श्रेणी		
(1)	(2)	(3)		
ne 1	लेवल-15 एवं उच्च लेवल	वायुयान का बिजनेस/		
7 94	Telling or a filt	एक्जीक्यूटिव क्लास		
2	शेष अन्य सभी लेवल	वायुयान का एकोनॉमी/सामान्य		
1 2 -		श्रेणी		

(2) आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) -

(I) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को ग्रेड वेतन के आधार पर वर्तमान में अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) की दरें अब मैट्रिक्स लेवल के अनुसार निम्नानुसार होगी :-

क्र०सं०	मैट्रिक्स लेवल	आनुषंगिक व्ययं (इन्सीडेन्टल चार्जेज)
(1)	(2)	(3)
1	लेवल-९ एवं उच्च लेवल	70 पैसे प्रति किलो मीटर
2	लेवल-5, लेवल-6, लेवल-7 एवं लेवल-8	50 पैसे प्रति किलो मीटर
3	लेवल-5 से कम	30 पैसे प्रति किलो मीटर

(II) वायुयान से यात्रा किये जाने पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में आनुषंगिक व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3) <u>दैनिक भत्ता</u>

वितीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्नवत् होंगी :-

क्र०सं०	सरकारी सेवक का मैट्रिक्स	दैनिक भत्ते की दरें (रू० में)							
100	लेवल								
	to describe the	'क'	वर्ग	के	'ख'	वर्ग है	के नगरों	साधारण	दर
- u+0- t	All a state of the second	नगरों	के	लिये	के	लिये	जिनमें	(स्तम्भ-	3 तथा
To Wall	· 特别	जिनमें		नगर	नगर	, ,	ग्रातिकार्ये	4 में 3	ल्लिखित
abile.	mount with a second of the	पालिक	ार्ये	तथा	तथा	कैन	टोनमेन्ट	स्थानों ः	से भिन्न
1 1 2	Section 1997	कैन्टोन	मेन्ट	और	और	į	नेकटवर्ती	स्थानों वे	के लिये)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

		निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सिम्मिलित होंगी कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोयझ क्षेत्र (गौतमबुद नगर) और	सम्मिलत हागा मुरादाबाद, अलीगढ़, झाँसी सहारनपुर, मथुरा रामपुर, मिर्जापुर शाहजहाँपुर फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर औ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लेवल-13 एवं इससे उच्च लेवल	930	750	600
2	लेवल-९ लेवल-१०, लेवल-११, एवं लेवल-१२	840	660	540
3	लेवल-७ एवं लेवल-८	V 720	570	480
4	लेवल-५ एवं लेवल-६	600	480	390
5	लेवल-5 से कम	390	300	240

शासकीय यात्राओं के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस में ठहरने पर राजकीय कर्मचारी द्वारा अपने लिये अनुमन्य दैनिक भते के 20 प्रतिशत अथवा सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस के कमरे/सूट का किराया, दोनों में जो कम हो, के बराबर धनराशि का भुगतान किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग, राज्य सम्पति विभाग एवं अन्य सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग इस हेतु अपने अधीनस्थ संचालित गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस के लिये आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं शर्ती एवं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होंगे जो उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहाँ ठहरने अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध हो,

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भता तत्सम्बन्धी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों पर उ०प्र० राज्य, सम्बन्धित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

(4) सडक मील भत्ता

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वितीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(बी)(2) में प्राविधानित शर्तीं/ प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी:-

(I) मैट्रिक्स लेवल-11 एवं इससे उच्च मैट्रिक्स लेवल के सरकारी सेवक:-

मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी0 तक की गयी सड़क यात्राओं के लिए:-

क्र0सं0	यात्रा की दूरी	रूपये प्रति कि0मी0		
ismilie.		पेट्रोल चालित	डीजल चालित	
16,75		वाहन	वाहन	
1	प्रथम 500 किमी0 तक	10.00	7.50	
2	500 किमी0 से अधिक परन्तु	7.00	5.50	
T	1200 किमी0 तक			

(II) मैट्रिक्स लेवल-11 एवं उच्च लेवल के अधिकारियों द्वारा मोटर कार/जीप के अतिरिक्त अन्य साधन से की गई यात्राओं तथा मैट्रिक्स लेवल-11 से निम्न लेवल के सरकारी सेवक के लिये:-

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के	रू० 5.00 प्रति किमी० इस प्रतिबन्ध
	किसी भी साधन से की गयी	के अधीन एक माह में ऐसी यात्राओं
T of		के लिए रूपये 1000/- से अधिक
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	धनराशि अनुमन्य न होगी।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है I

(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों के रू० 2.50 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सइक यात्राओं के लिए

के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू० 500/- से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(III) अल्प दूरी की यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर सरकारी सेवकों को रू० 10/- प्रति किमी0 की दर से सड़क मील भता देय होगा।

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

सरकारी सेवकों को जनहित में किए गए उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उनके परिवार के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेल् सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्नानुसार होगी :-

(क) <u>घरेल सामान की ढुलाई</u> -

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की दुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(1)(III) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई प्र हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अब मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :-

(I) <u>यात्रा यदि परिवार सहित की गयी हो</u> -

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल के आधार पर घरेल् सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था होगी :-

क्र0	TT	1 (1-11)
	सरकारी सेवक का मैट्रिक्स	व्यक्तिगत सामान की दुलाई के लिए
सं०	लेवल	अनुमन्य अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1	लेवल-९ एवं इससे उच्च	6000 कि0ग्रा0 या 4 पहियों का
Y	लेवल	एक वैगन

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर ट्रम्नाक्ष्य की

(II)यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो :-

यदि स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा स्वयं अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित भार का अधिकतम 2/3 भाग देय होगा।

(ख) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)/ पैकिंग भता-

सरकारी सेवक का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर होगी :-

जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने (1) पर एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट) के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को मूल वेतन के 40 प्रतिशत के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

HEST WEST

जनहित में एक जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे (II)स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा:-

क्र0सं0	मैट्रिक्स लेवल	पैकिंग भते के दर
(1)		(रू० में)
-	लेखन ८ एवं 🛶	(3)
	लेवल-6 एवं इससे उच्च लेवल लेवल-6 से निम्न लेवल	₹0 3000/-
_	लयल-० स । नम्न लयल	₹0 1500/-

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- 2- यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
- 3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

भवदीय, संजीव मित्तल अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-3/2019/जी-2-41(1)/दस-2019-601/2011. तद्दिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-l एवं ll, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

FILE OF A PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF MANUAL

गार देन सम्बन्धाः तस्त होगो. उसके स्थाप पर विकास प्रमाण

THE BE THE SUIT OF STATE OF STATE OF

5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

> आजा से, सरयू प्रसाद मिश्र विशेष सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।